तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी ए/2448/2004/सीकर** **रसीद पुत्र सन्नूखां व अन्य बनाम रसीद पुत्र गनीखां व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
02.03.2021	**एकल पीठ** **श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य** **उपस्थित–** श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी श्री अशोक अग्रवाल अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्वअपील प्राधिकारी सीकर के आदेश दिनांक 16–6–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त करने मौका कमिश्नर स्वीकर किया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी संख्या1 का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार हैं। इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया था। इसलिये इस स्तर पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाब्ता दीवानी को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था। अप्रार्थी के पास अपना कब्जा सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। वह न्यायालय द्वारा साक्ष्य इकठ्ठा कराना चाहता है। नई साक्ष्य पैदा करने के लिये कमिश्नर नियुक्ति का सहारा नहीं लिया जा सकता है। पक्षकारों को अपना केस स्वयं सिद्ध करना होता है। मौका कमिश्नर केवल मौके की रिपोर्ट दे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी ए/2448/2004/सीकर** **रसीद पुत्र सन्नूखां व अन्य बनाम रसीद पुत्र गनीखां व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	सकता है परन्तु किसका कब्जा है और किसका नहीं है, इस बाबत कुछ भी नहीं बता सकता। इसलिये मौका कमिश्नर नियुक्ति का आदेश निरस्त योग्य है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी पर उनका निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीगण मौके की सूरत में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने मौका कमिश्नर नियुक्त करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। मौके की वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आने पर प्रार्थीगण मौके पर कोई रद्दाबदल नहीं कर सकते हैं और न्यायालय को निर्णय पारित करने में सहायता मिलेगी। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत मौका कमिश्नर इस आधार पर प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की वस्तुस्थिति को बदलने पर आमादा हैं। वादग्रस्त आराजी की वास्तविक स्थिति को बदला जाता है तो मामले की प्रकृति ही बदल जावेगी तथा अप्रार्थी को न्याय मिलने में कठिनाई होगी। इसलिये अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मौका कमिश्नर स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगाया जाना न्याय हित में आवश्यक है। विधि अनुसार मौका कमिश्नर नियुक्त कर किसी पक्षकार के पक्ष में शहादत एकत्रित नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से वास्तव में किस पक्षकार का कब्जा है इस बाबत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पक्षकार अपना कब्जा सिद्ध कर सकते हैं। जहां पर प्रकरण में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न हो वहां पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में पक्षकारों के पास अपना कब्जा सिद्ध करने के लिये विकल्प उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावेगा जिसमें पक्षकारान अपना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी ए/2448/2004/सीकर** **रसीद पुत्र सन्नूखां व अन्य बनाम रसीद पुत्र गनीखां व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	कब्जा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से सिद्ध कर सकते हैं। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि– RBJ (19)2012page-545-CODE OF CIVIL PROCEDURE 1908-Order 26Rule 9-Appointment of Commissioner. Commissioner cannot be appointed for collection of evidence. RBJ(18)2011page230-CODE OF CIVIL PROCEDURE,1908-Order 26Rule9-Court cannot appoint a Commissioner for creating evidence in favour of one party- WLC Raj. 1998(2) page 396 : Civil Procedure Code, O. 26, R. 9, 10 - Commission to ascertain possession over plot - Fact in issue as to which party has been in possession - Written statement already filed - Disputed fact can be adjudicated upon by court after framing issue and recording evidence of parties- Assistance of Commissioner for such purpose neither necessary nor justified.. RLW 2005(4) page 2367 : C.P.C., Order 26, Rule 9 read with Sec. 151 - Application for appointment of Commissioner to ascertain the fact whether any construction has been demolished on the disputed plot in question or not? - Application rejected by trial court - Trial Court observed that the evidence of plaintiff and defendant except one evidence of defendant has been completed and at this stage the application has been moved to create evidence- Held- Trial Court rightly rejected the application as it did not think it proper to appoint the commissioner because oral as well as documentary evidence was sufficient to resolve the dispute. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 16–6–2004 निरस्त किया जाता है। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर को आदेशित किया जाता है कि वह उनके न्यायालय में लम्बित अपील का पक्षकारान को सुनकर दो माह के अन्दर विधि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी ए/2448/2004/सीकर** **रसीद पुत्र सन्नूखां व अन्य बनाम रसीद पुत्र गनीखां व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो
	अनुसार निस्तारण करें। उभय पक्षकारान को प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थित रहने के लिये पाबन्द किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सतीश चन्द्र गोदारा)** **सदस्य**	